

अध्याय

1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन चयनित योजनाओं एवं विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सिविल एवं निर्माण विभागों, केंद्र पुरोनिधानित तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा एवं स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। रिपोर्टिंग की महत्वता के स्तर, लेन-देनों की प्रकृति, परिणाम एवं विस्तार के समानुपातिक हो। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा परिणाम कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु नीति-निर्धारण एवं दिशा-निर्देशों में सहायक होंगे जोकि एक अच्छे शासन व्यवस्था में सहयोग करती है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अर्न्तगत लेखापरीक्षित इकाई के लेन-देनों से सम्बन्धित व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की जाँच की जाती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में संगठनों द्वारा कार्यक्रमों अथवा योजनाओं का किस सीमा तक मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावकारी ढंग से संचालन किया गया, का स्वतंत्र मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है।

इस अध्याय में लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूप-रेखा, लेखापरीक्षा के नियोजन एवं विस्तार तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का उल्लेख है। इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों तथा अध्याय 3 में विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूप-रेखा

मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों के अधीन 71 विभागों, जिन्हें विशेष सचिवों, उप सचिवों एवं निदेशकों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त है, प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में है।

राज्य सरकार के वर्ष 2012-13 की अवधि के व्ययों के साथ-साथ विगत दो वर्षों के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति सारणी-1 में दर्शायी गयी है।

सारणी-1 : वर्ष 2010-13 में व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
सामान्य सेवाएँ	987.34	47,031.83	48,019.17	601.73	52,345.19	52,946.92	787.54	59,119.18	59,906.72
सामाजिक सेवाएँ	15,829.56	23,737.14	39,566.70	17,609.59	29,781.35	47,390.94	21,064.75	32,235.57	53,300.32
आर्थिक सेवाएँ	4,222.63	11,502.40	15,725.03	4,404.60	13,887.61	18,292.21	4,025.62	17,311.74	21,337.36
सहायक अनुदान	-	4,364.71	4,364.71	---	5,255.10	5,255.10	---	6,179.24	6,179.24
योग (1)	21,039.53	86,636.08	1,07,675.61	22,615.92	1,01,269.25	1,23,885.17	25,877.91	1,14,845.73	1,40,723.64
पूँजीगत परिव्यय (2)	19,581.08	691.72	20,272.80	20,735.10	838.86	21,573.96	22,608.51	1,225.78	23,834.29
ऋण एवं अग्रिम संवितरण (3)	617.28	350.94	968.22	414.48	561.09	975.57	383.75	619.49	1,003.24
लोक ऋणों का भुगतान(4)	---	7,383.08	7,383.08	---	8,287.61	8,287.61	---	8,909.04	8,909.04
समेकित निधि से किया गया कुल संवितरण (1+2+3+4)	41,237.89	95,061.82	1,36,299.71	43,765.50	1,10,956.81	1,54,722.31	48,870.17	1,25,600.04	1,74,470.21
आकस्मिकता निधि	---	39.90	39.90	---	309.64	309.64	---	262.45	262.45
लोक लेखा संवितरण	---	1,17,472.99	1,17,472.99	---	1,30,970.76	1,30,970.76	---	1,29,471.51	1,29,471.51
योग	41,237.89	2,12,574.71	2,53,812.60	43,765.50	2,42,237.21	2,86,002.71	48,870.17	2,55,334.00	3,04,204.17

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में लेखापरीक्षा का प्राधिकार निहित है। प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सिविल और निर्माण विभागों एवं स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है। लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और क्रियाविधि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मैनुअलों में निर्धारित हैं।

1.4 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक संरचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के दिशा-निर्देशों के अधीन प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल और निर्माण विभागों एवं स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा पाँच वर्ग समूहों द्वारा सम्पन्न की जाती है। वर्ष 2012-13 की अवधि में 204 लेखापरीक्षा पार्टी द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन चयनित इकाईयों, स्वायत्त निकायों इत्यादि का अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पन्न किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित जोखिम के अनुमानों से प्रारम्भ होती है जोकि उनके व्ययों, क्रियाकलापों की निर्णायकता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का स्तर, आन्तरिक नियंत्रण का निर्धारण तथा सम्बंधित दावेदारों पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्ष मौजूद होते हैं, इकाई/विभाग के प्रमुख को निर्गत किए जाते हैं। इकाइयों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्ष का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना होता है। प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष को या तो निस्तारित किया जाता है या उसके अनुपालन हेतु अग्रेतर कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

वर्ष 2012-13 की अवधि में विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 1,765 इकाइयों की लेखापरीक्षा, 10,464 पार्टि-दिवसों का उपयोग करके किया गया था। आडिट प्लान में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया था जोकि जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी।

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि सरकार की योजनाओं के वांछित उद्देश्य न्यूनतम मूल्यों पर प्राप्त कर लिये गये हैं तथा अभीष्ट लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुँच गये हैं।

इस प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंदिरा आवास योजना, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं सम्बद्ध शैक्षणिक चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं के परिणामों तथा अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद का वित्तीय-प्रबन्धन एवं लोक निर्माण विभाग के विद्युत् एवं यांत्रिक खण्डों में संयंत्रों एवं मशीनों के संचालन पर वृहद प्रस्तर सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षाओं के मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है।

1.6.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मई 2007 में प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य को कृषि में लोक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषकों को अधिकतम प्रतिफल दिलाना इत्यादि था। यद्यपि जिला नियोजन समितियों का गठन किया गया था किन्तु जिला कृषि योजना/राज्य कृषि योजना तैयार करने का कार्य भारत सरकार की मान्यता प्राप्त कृषि वित्त निगम, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कन्सलटेन्ट लिमिटेड, लखनऊ को आउटसोर्स किया गया था। निधियाँ (₹ 2,493.28 करोड़) का उपयोग बिना जिला कृषि योजना के ही किया गया था। राज्य सरकार द्वारा निधियाँ एक से 11 माह विलंब से अवमुक्त की गयी थीं। ₹ 28.45 करोड़ के व्यावर्तन के प्रकरण भी पाये गये थे। निधियाँ ऐसी परियोजनाओं पर व्यय की गयी थीं जो कि या तो योजनान्तर्गत अनुमन्य नहीं थे अथवा जिला कृषि योजना/राज्य कृषि योजना में सम्मिलित नहीं थे। निधियाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जनपदों में भी उपयोग की गई थी यद्यपि परियोजना गैर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जनपदों में क्रियान्वित की जानी थी। जनपदों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिकल्पनस्वरूप नहीं थे।

1.6.2 इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना जनवरी 1996 में एक स्वतंत्र योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी थी। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों, अल्पसंख्यकों आदि के

आवासों के निर्माण/उन्नयन में एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करना था। नमूना जाँच किये गये जनपदों द्वारा वार्षिक योजना नहीं बनायी गयी थी। परिणामस्वरूप, विकास खण्डों को वितरित लक्ष्य मानक के अनुरूप नहीं थे। लाभार्थियों के नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की सूची/प्रतीक्षा-सूची में नहीं पाये गये थे। आवास अपात्र लोगों को भी आवंटित किये गये थे। अग्रेतर, आवास महिला सदस्य के स्थान पर परिवार के पुरुष सदस्य के नाम स्वीकृत किये गये थे। राज्यांश विलंब से अवमुक्त किये गये थे तथा निधियाँ अन्य योजनाओं के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु व्यावर्तित की गई थी। राज्य में सूचना, शिक्षा एवं प्रसार गतिविधियों की अपर्याप्तता के फलस्वरूप लाभार्थी उपलब्ध सुविधाओं से अवगत नहीं थे।

1.6.3 मोतीलाल नेहरु मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं सम्बद्ध शैक्षणिक चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली

दीर्घकालिक एवं वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार नहीं की गयी थीं। अपर्याप्त संकाय सदस्यों के कारण शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। मेडिकल कालेज द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद से गैर मान्यता प्राप्त परास्नातक पाठ्यक्रम एवं परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रस्तावित किये गये थे। शोध कार्य एवं कालेज काउंसिल इत्यादि से संबंधित गतिविधियाँ नगण्य थीं क्योंकि शोध कार्य कराने हेतु न तो कालेज काउंसिल गठित की गई थी और न ही केन्द्रीय प्रयोगशाला संचालित था। अग्रेतर, विशेषज्ञों, परामर्श डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, बावजूद इस तथ्य के कि मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। अस्पताल वार्ड का वातावरण स्वास्थ्यकर/अनुकूल नहीं था। अस्पतालों में शैय्या कई मरीजों के बीच साझा किए गए थे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए भी मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। विशिष्ट सेवाएँ उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध तथा निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के अभाव में अपर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कालेज के 15 विभागों में उपकरणों का अभाव था। वर्ष 2008-11 की अवधि में राजस्व का भी अभाव था क्योंकि स्वरूपरानी नेहरु चिकित्सालय परिसर में औषधि की दुकान के लिए स्थान संस्था को उपलब्ध नहीं कराया गया था। अनुश्रवण अपर्याप्त था तथा शासन को गलत आँकड़े प्रेषित किये गये थे।

1.6.4 अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में वित्तीय प्रबन्धन

अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में शिक्षण शुल्क के दुरुपयोग तथा लेखांकन करने के दृष्टांत नहीं थे। बैंक खातों की बहुलता के परिणामस्वरूप बैंक खातों और रोकड़ बही के अवशेषों में अन्तर था। रोकड़ बहियों का उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया गया था। निदेशक, अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2003-13 की अवधि में ₹ 18.71 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति 2,985 अस्थाई अग्रदाय के लिए की गयी थी। ये अस्थाई अग्रदाय या तो असमायोजित पड़े रहे अथवा अत्यधिक विलम्ब से समायोजित हुए थे। अग्रेतर, अस्थाई अग्रदाय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना दिया गया था। अस्थाई अग्रदाय अनुमन्य कार्यों पर व्यय के लिए दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों से अधिक शुल्क भी वसूल किया गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा भी शुल्क से अधिक किया गया था। कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान के लेखे की धनराशियाँ भारत कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में हस्तांतरित भी नहीं की गई थी।

1.6.5 विद्युत एवं यांत्रिक खण्डों में प्लाण्टों एवं मशीनों का संचालन

विभागीय हाट मिक्स प्लाण्टों का औसत संचालन 49 प्रतिशत था। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय अप्राधिकृत था एवं आवश्यकता आधारित मूल्यांकन के बिना किया गया था। अग्रेतर, वसूली प्रभार एक दशक से अधिक समय से बकाया था। इसके अतिरिक्त, मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से निधियों का उपयोग नियमावली के अनुसार नहीं किया गया था।

1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जटिलता भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गयी जोकि राज्य सरकार के प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों (28 प्रस्तर) को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ सम्बंधित हैं:

- धोखाधड़ी एवं उदघटित धोखाधड़ी के प्रकरण;
- नियमों और विनियमन का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्ययों के प्रकरण; एवं
- असावधानी/नियंत्रण की कमी;

1.7.1 धोखाधड़ी एवं उदघटित धोखाधड़ी के प्रकरण

कुछ विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में कपटपूर्ण भुगतान के प्रकरण प्रकाश में आये जिनकी चर्चा अधोलिखित प्रस्तरों में की गई है:

सेनानायक, 25वीं वाहिनी प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी, रायबरेली के कार्यालय में स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने से कोषागार, रायबरेली से ₹ 71 लाख का कपटपूर्ण आहरण।

(प्रस्तर 3.1.1)

वित्तीय नियमों के अनुपालन एवं आवश्यक आन्तरिक नियंत्रण के अनुप्रयोग में विफलता के कारण दो बेलदारों को अधिवर्षता के उपरान्त सेवा में बने रहने के फलस्वरूप उनके वेतन पर ₹ 10.36 लाख का कपटपूर्ण व्यय।

(प्रस्तर 3.1.2)

वित्तीय नियमों, लेखा प्रणाली एवं शासनादेशों के उल्लंघन से ₹ 4.31 करोड़ के भुगतान के फलस्वरूप गबन एवं दुर्विनियोग।

(प्रस्तर 3.1.3)

1.7.2 नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियम, विनियमन और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुरूप हो। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक होता है एवं अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकता है। इस खण्ड में नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये

जाने के प्रकरणों को इंगित किया गया है जिनमें से कुछ प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

शासन द्वारा कोडल प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के कारण ₹ 233.12 करोड़ शासकीय लेखे के बाहर 36 महीने से भी अधिक समय से एक अनुसूचित बैंक में अवरुद्ध पड़ी रही।

(प्रस्तर 3.2.2)

सैंटेज चार्ज की वसूली हेतु शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन न किये जाने से शासन को ₹ 13.22 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.4)

वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए हाई डेनसिटी पालीएथीलीन/पालीप्रोपिलीन बैगों का क्रय करने के फलस्वरूप शासन को ₹ 1.18 करोड़ की हानि।

(प्रस्तर 3.2.5)

1.7.3 औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना किये गये व्ययों के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, से यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतक्रता के साथ करें जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के प्रकरण आये जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

वर्ष 2005-06 से योजना के दिशा-निर्देशानुसार वास्तविक दर पर प्रीमियम का निर्धारण कर अपने अंश को हटाये जाने में विफल शासन को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कृषकों के अंश के रूप में ₹ 149 करोड़ (वर्ष 2008-12) बतौर प्रीमियम (₹ 20 करोड़) एवं बीमा दावों (₹ 129 करोड़) का भुगतान करना पड़ा।

(प्रस्तर 3.3.1)

पान-आकारित जाली की स्थापना के तत्काल उपरान्त ही तोड़े जाने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 0.83 करोड़ की क्षति एवं ₹ 1.98 करोड़ की धनराशि का दुरुपयोग।

(प्रस्तर 3.3.5)

1.7.4 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार का यह कर्तव्य है कि वह लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र, अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नहीं किया गया अथवा अवरुद्ध रखा गया या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहने के कारण हुई थी। लेखापरीक्षा जाँच में असावधानी/नियंत्रण की कमी के प्रकरण प्रकाश में आये जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये जा रहे हैं:

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में विद्युत लाइन एवं विद्युत उप-केन्द्र (सब-स्टेशन) के पुनरुद्धार पर किया गया ₹ 3.37 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि कार्य विद्युतीय सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ से अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किए बिना ही आरम्भ किए गये थे।

(प्रस्तर 3.4.5)

वर्ष 2006-13 की अवधि में भिक्षुकों के लिए आठ प्रमाणित संस्थानों के रख-रखाव हेतु वेतन, भत्ता, किराया एवं बिजली पर ₹ 14.96 करोड़ व्यय के बावजूद भी उस अवधि में या तो कोई भिक्षुक प्रशिक्षित और पुनर्वासित नहीं किये गये अथवा प्रशिक्षित और पुनर्वासित किए गए भिक्षुकों की संख्या नगण्य थी क्योंकि पुलिस द्वारा उन्हें निरुद्ध नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.4.7)

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार का रुझान

1.8.1 आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रत्युत्तरों की कमी

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आलेख्य निष्पादन समीक्षा और लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित किये जाते हैं। यह तथ्य उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लायी जाती है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सकता है जिसे उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पटल पर रखा जाता है। अतः सम्बन्धित प्रकरणों पर उनकी टिप्पणी वांछित है। उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं/लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार से परिचर्चा की भी सलाह दी जाती है।

मई से नवम्बर 2013 की अवधि में तीन आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं, 30 आलेख्य प्रस्तरों, जिसमें दो वृहद प्रस्तर भी सम्मिलित हैं, को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किये गये थे। अगस्त 2013 से मई 2014 के मध्य चर्चा हेतु गोष्ठी आयोजित की गयी थी। सभी आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं के प्रत्युत्तर प्राप्त किये गये यद्यपि तीन प्रस्तरों के संदर्भ में शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुए। शासन के प्रत्युत्तरों एवं परिचर्चा के परिणामों को भी लेखापरीक्षा में यथोचित सम्मिलित किया गया है।

1.8.2 लेखापरीक्षा के प्रति रुझान की कमी

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा लेन-देन की जाँच हेतु व महत्वपूर्ण लेखा और अन्य अभिलेखों के नियम एवं कार्यपद्धति अनुसार रख-रखाव हेतु शासन के विभागों को समय-समय पर लेखापरीक्षा निरीक्षण किया जाता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। उन सभी प्रस्तरों जिनमें अभिलेखों की जाँच के दौरान अनियमितताएँ पायी जाती हैं, उन प्रस्तरों की एक-एक प्रतिलिपि विभागों के उच्च अधिकारियों तथा शासन को प्रेषित की जाती है जिससे लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अनुश्रवण अथवा निस्तारण सुविधाजनक हो सके। कार्यालय के प्रमुख एवं उनके उच्च अधिकारियों को लेखापरीक्षा में उठाये गये बिन्दुओं का अनुपालन तथा कमियों को दूर कर अनुपालन की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को

प्रेषित की जाती है। नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 8,183 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 28,650 लेखापरीक्षण निष्कर्ष 31 मार्च 2013 तक लम्बित थे।

1.8.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

लोक लेखा समिति के समक्ष मार्च 2013 के अंत में 1,028 प्रस्तरों/समीक्षायें चर्चा हेतु लम्बित थी। ये प्रस्तर/समीक्षायें वर्ष 1983-84 से वर्ष 2010-11 (वर्ष 1997-98, 2002-03, 2004-05 एवं 2005-06 को छोड़कर) से सम्बन्धित थे। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों/समीक्षाओं पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा प्रगति पर थी।